हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2018

संख्या वैब 48/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा.59/2018. - संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ग, घ में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट गोव डॉट इन पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् राज्य सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी, तथा अन्तिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगाः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1. अनुसूची क में,– खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"15	पाईप्ड नैचुरल गैस (पी0एन0जी0) अनुसूची ग की प्रविष्टि 21 ग की प्रविष्टि में वर्णित के सिवाय"।	6%" ।

2. अनुसूची ग में,– खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 21 ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"21 ग	परिवहन क्षेत्र में प्रयोग हेतु कौमप्रैस्ड नैचुरल गैस (सी0एन0जी0) तथा घरेलू क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली पाईप्ड नैचुरल गैस (पी0एन0जी0)"।

3. अनुसूची घ में,– खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, अर्थात् :–

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT, HARYANA

1	2	3
"6	पाईप्ड नैचुरल गैस अनुसूची ग की प्रविष्टि 21 ग की प्रविष्टि में वर्णित के सिवाय	6%" ।

संजीव कौशल,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 11th April, 2018

No. Web. 48/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2018. - The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedules A, C and D appended to said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web site www.haryanatax.gov.in together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana Excise and Taxation Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified and shall take effect with effect from date of final notification:-

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

(i) in Schedule A, under columns 1, 2 and 3, after serial number 14 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3
"15	Piped Natural Gas except mentioned in entry 21C of Schedule C	6%";

(ii) in Schedule C, under columns 1 and 2, for serial number 21C and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"21C	Compressed Natural Gas (CNG) sold for use in transport sector and Piped Natural Gas (PNG) supplied in domestic sector";

(iii) in Schedule D, under columns 1, 2 and 3, after serial number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT, HARYANA

1	2	3
"6	Piped Natural Gas except mentioned in entry 21C of Schedule C	6%;".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department